

गेहन/बन्धक/आड़मान/सृजित करने के लिए प्ररूप

प्रतिरिक्त वही संख्या

इन्द्रराजों की क्रम संख्या :

मामले की मालियत और स्वल्प और रजिस्ट्री की रकम और अन्य शुल्क और प्राप्त हुआ ताजान।

नं० दस्तावेज... 136/99

दस्तावेज की किस्म... 21/99

मूल्य... /

रजिस्ट्री फीस... /

फीस नकल... /

शब्दों की संख्या... /

फीस अनुवाद... /

फीस कमीशन... /

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1979 (1979 का 23) को 12 और 12-अ और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नियम, 1979 के नियम 3 तिन किसी कृषि और ग्रामीण बैंक या सहकारी प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के किसी सदस्य द्वारा और जंगम सम्पत्ति पर जिसका वह स्वामी है द्वारा उसके सदस्य को दिये जाने वाले किसी ऋण के सम्बन्ध में गेहन की बाबत की जाने वाली घोषणा का प्ररूप।

वह सबको ज्ञात है कि मैं/हम :-

1. श्री श्री मन्तर सुमर पुत्र/पुत्री/विधवा श्री पद्म/श्री/श्री/श्री आयु 60 वर्ष
2. " " " श्री आयु
3. " " " श्री आयु
4. " " " श्री आयु
5. " " " श्री आयु

ग्राम रायगं डाकघर रायगं तहसील रायगं

जिला कन्नौज हिमाचल प्रदेश स्वयं अथवा द्वारा मुख्यतयार

पुत्र नि० ग्राम

तहसील जिला

व पंजीयन सं० दिनांक की वही सं०

पर दर्ज है और

अन्तर्गत आड़मान पर संदर्भ से अनुमत हो, उसके/उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक और ति जिन्हें दि हि० प्र० राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित (जिसे इसमें इसके पश्चात बैंक कहा की सदस्यता में सीमित दायित्व सहित प्रवेश दिया गया है और बैंक से उधार लेने के इच्छुक है, एतद्वारा घोषित और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1979 (1979 का 23) की धारा 12 के अधीन तथा अपेक्षित, बैंक द्वारा दिए गए ऋण के देय संदाय सभी आगामी अग्रिम जिन्हें ऋण के देय संदाय में आगामी अग्रिम जिन्हें ऋण मंजूरी आदेश में दिए गए निम्नलिखित विबन्धनों और शर्तों पर लेना स्वीकार

ऋण का उद्देश्य पानी के टैंक बनाने के लिए

वधि 10 वर्ष व्याज दर 15.5%

/हम अधिकतर राशि केवल 60000/- (शब्दों में छाह हजार)

) रुपये के अध्वधीन ऐसी ऋण राशि और अग्रिम पर व्याज के पक्ष में अनुसूची में वर्णित स्थावर और जंगम दोनों सम्पत्तियों पर गेहन का सृजन करते हैं।

उधार लेने वाला/उधार लेने वाले एतद्वारा घोषित करते हैं कि वह/वे गेहन सम्पत्ति पर मुद्दत हक रखता हक विलेख के विवरण में दर्ज वर्ष 1998-98 के अनुसार अभिधारी के रूप में स्थिरता के हकदार रहते हुए सम्पत्ति को धारित करता हूँ/करते हैं और आगे हक हित न रहने पर या अन्यथा के किसी हानि या क्षति की प्रति करने के लिए आगे प्रसंविदा करते हैं और अपने आप को इसे निमित्त

MANAGER
THE H.P. CO-OP. AGR.
& RURAL DEV. BANK LTD.
B.O. 22/6

No. 21

कथित उधार लेने वाला/उधार लेने वाले आगे घोषित करते हैं कि सृजित प्रभार के अतिरिक्त गेहन सम्पत्ति पर ऋण लक्ष्य नहीं हैं; और

कथित उधार लेने वाला/उधार लेने वाले के उक्त सम्पत्ति या इस सम्पत्ति में किसी हित को विक्रय बन्धक, दान व तक अन्तरित न करने या कब्जा छोड़ने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करते हैं जब तक उधार लेने वाला/उधार लेने वाले से लिए गए ऋण को ब्याज सहित बैंक को पूर्णतया संदत्त नहीं कर देते।

स्वरूप
तीर अन्य
गान।

MANAGER
THE H.P.S. CO-OP. AGRIL.
& RURAL DEV. BANK LTD.

बैंक अधिकारी के पदनाम व
मुद्रासहित हस्ताक्षर



बन्धककर्ता के
हस्ताक्षर

उक्त उधार लेने वाला/उधार लेने वाले इस बात पर सहमत है और घोषित करते हैं कि वह विलेख हिमाचल जे-आपरेटिव एग्रिकल्चर एण्ड हरल डिवेलपमेंट बैंक एक्ट, 1979 (1979 का 23) की धारा 12, 12 अ की शर्तों धीन होगा और उसमें वह शर्तें सम्मिलित होंगी।

अब उक्त लिखित गेहन की शर्त इस प्रकार है कि उधार लेने वाला/उधार लेने वाले अपनी देय समस्त राशि तान कर देते हैं और अधिनियम, नियमों और बैंक की उपविधियों का अनुपालन करते हैं तो उक्त लिखित गेहन नि हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतया लागू रहेगी।

का विवरण

खाता खतौनी

खसरा नं०

थावर

राजस्व ग्राम

तहसील

जिला

क्षेत्र :

(1) कृण्ट

(2) मकृण्ट

(3) अन्य

बन्धककर्ता/गेहन सृजनकर्ता का अधिकार।

जंगम :

(जंगम सम्पत्ति/अस्तियों) का विस्तारपूर्वक विवरण :

MANAGER
THE H.P.S. CO-OP. AGRIL.
& RURAL DEV. BANK LTD.

B.O. के पदनाम व मुद्रासहित हस्ताक्षर

9-93-1
रजिस्टर



बन्धककर्ता/गेहन सृजनकर्ता के हस्ताक्षर

प्रतिरिक्त वही संख्या

नं० दस्तावेज

दस्तावेज की किस्म

करने वाले का

मूल्य

रजिस्ट्री फीस

फीस नकल

शब्दों की संख्या

श्रीम धनुवाद

फीस बर्माशन


इन्दराजों की क्रम संख्या :

मागते की मातियत और स्वरूप और रजिस्ट्री की रकम और अन्य शुल्क और प्राप्त हुआ ताजान ।

घोषणा

मैं/हम श्री. सति लक्ष्मण मुकुन्द पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा श्री पद्मती डी. विमल लक्ष्मण
 पुत्र श्री श्री विमल लक्ष्मण / सतिम कैरि
रायग तहसील कोरग जिला बिना

रा कथन और घोषित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं/करती है कि सम्पत्ति का उपर्युक्त दक्षित विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और यह समस्त विल्लंघन से मुक्त है ।



बन्धककर्ता/गृहनकर्ता के हस्ताक्षर

पता सहित साक्षी : प्रो. प्रो. लाल
रायग तहसील कोरग जिला बिना
श्री. सति लक्ष्मण मुकुन्द
रायग तहसील कोरग जिला बिना

उपर्युक्त घोषणा पर श्री/श्रीमति श्री. सति लक्ष्मण मुकुन्द
 पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा श्री श्री. विमल लक्ष्मण
 निवासी रायग
 तहसील कोरग जिला बिना ने मेरे सामने
 दस्तावेज दिए जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ/जिसको पहचान श्री/श्रीमति श्री. प्रो. लाल
 पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा श्री श्री. विमल लक्ष्मण निवासी रायग
 तहसील कोरग जिला बिना ने करवाई है और जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ।

करने वाले के हस्ताक्षर
29-7-99
श्री. सति लक्ष्मण मुकुन्द

तहसील कोरग
 प्राधिकृत अधिकारी (कै. धर्म) और
 प्राधिकारिक मुद्रा सहित हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की रिपोर्ट

कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सीमित कोरग को वापिस की जाती है ।
 उपर्युक्त घोषणा के अधीन गृहित बन्धक गृहन की रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की वही संख्या 1 में
 पृष्ठों 80 ता 84 पर तारीख 29-7-99 सम्यक रूप से फाइल कर दिया ।
29-7-99
श्री. सति लक्ष्मण मुकुन्द

उप पर श्री. सति लक्ष्मण मुकुन्द
 तहसील कोरग
 रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी (कै. धर्म) और प्राधिकारिक मुद्रा सहित हस्ताक्षर ।